XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – शिवपुरी

प्रकरण कमांक – निग0 476–तीन / 15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-3.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता कि आलोच्य भूमि भूदान बोर्ड द्वारा प्रदाय की गई थी जिसे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विक्रय किये जाने के कारण अपर कलेक्टर द्वारा उसे शासकीय घोषित किया गया है । प्रकरण में जो तथ्य आए हैं उनको देखते हुए अपर कलेक्टर का आदेश पूर्णतया औचित्यपूर्ण, न्यायिक और विधिसम्मत है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । सदस्य	

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES COURT FEE

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES COURT FEE

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES COURT FEE

न्यायालयः— मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 निगरानी निग 476-III-15

शिवकुमार पुत्र बुन्देल सिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम गागौनी तहसील बदरवास
जिला शिवपुरी म0 प्र0

——— आवेदक

श्री एन. पी. शाक्य. एड.
द्वारा आज दि 5-3-15 को
प्रस्तुत
5-3-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. म.प्र. शासन
   मालम सिंह म्रत वारिस
2. रामबाबू नाबालिक पुत्र सरुपा जाटव
   निवासी ग्राम गागौनी तहसील बदरबास
   जिला शिवपुरी म.प्र.

——— अनावेदकगण

5 3'15

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर महो. जिला शिवपुरी प्र.क. 213/स्व.निगरानी/13—14 में पारित आदेश दि. 30—06—2014 के विरूद्ध निगरानी जानकारी दिनांक 16.02.2015 से अबधि अन्दर प्रस्तुत।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

शासकीय अधिवक्ता
राजस्व मण्डल
ग्वालियर

<u>निगरानी के संक्षेप में तथ्यः—</u>

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्र. 895 रकवा 0.66 हे., 896 रकवा 0.75 हे. कुल किता 2 कुल रकवा 1.51 हे. भूमि का म.प्र. भू—दान यज्ञ बोर्ड द्वारा कृषि कार्य हेतु पट्टा ग्रहिता को पटटा प्रदान किया गया था। उक्त भूमि को पटटा ग्रहियता द्वारा आवेदक को 40 वर्ष पूर्व अपने भाग को मौखिक अनुबंध के आधार पर आवेदक के पिता मालम सिंह को दे दिया गया। उक्त कब्जे के आधार पर बंदोवस्त 1983—84 में आवेदक का नाम इस आधार पर कर दिया गया किए आवेदक के पिता द्वारा उक्त भूमि मौखिक अनुबंध के आधार पर कृषि करने हेतु प्राप्त की थी उसके आधार पर आवेदक का नाम भूमिस्वामी के खाना नं. 3 में अंकित होकार भूमिस्वामी है परन्तु पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार रन्नौद तह. बदरवास जिला शिवपुरी के प्रक्र. 70/97—98/बी—121 पर दर्ज किया जाकर विधिवत कार्यवाही सम्पन्न करते हुये आवेदक का नाम भूमिस्वामी